EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (ii)
Appearing on Page Nos. 4066-4068
Dated : 4-5-2002

विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF POWER

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2002

का.आ. 1472.—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा कार्य कुशलता ब्यूरो की शासी परिषद् स्थापित करती है और उक्त ब्यूरो की शासी परिषद् में निम्नलिखित सदस्यों को नियुक्त करती है अर्थात् :—

धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (क) से (ढ़) तक के अधीन नियुक्त व्यक्ति :—

1.	विद्युत मंत्री	पदेन अध्यक्ष
2.	सचिव, भारत सरकार विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
3.	सचिव, भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
4.	सचिव, भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
5.	सचिव, भारत सरकार, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
6.	सचिव, भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
7.	सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले विभाग, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
8.	अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
9.	महानिदेशक, केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
10.	कार्यपालक निदेशक, पेट्रोलियम कंजरवेशन रिसर्च एसोसिएशन, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
11.	अध्यक्ष, एवं प्रबंध निदेशक, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, रांची	पदेन सदस्य
12.	महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
13.	महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण गृह प्रदाग विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कोलकाता	पदेन सदस्य
14.	प्रबंध निदेशक, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली	पदेन सदस्य

धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ण) के अधीन नियुक्त व्यक्ति :—

15.	अध्यक्ष, उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड	उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य
16.	अध्यक्ष, पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड	पूर्वी क्षेत्र के राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य
17.	अध्यक्ष, उत्तरी क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड	उत्तरी क्षेत्र के राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य
18.	अध्यक्ष, पश्चिमी क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड	पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य
19.	अध्यक्ष, दक्षिणी क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड	दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य

धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ज) के अधीन उस तारीख से जिसको वे पद ग्रहण करते हैं, तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त व्यक्ति :—

20.	श्री तरुण दास, महानिदेशक, कनफेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्रीज, नई दिल्ली	उद्योग का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य
21.	श्री सुनील परेश मोरे, महासचिव, इंडियन इलैक्ट्रीकल एंड इलैक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, मुम्बई।	उपस्कर और साधित्रों के विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य
22.	श्री शशि प्रभु, 12-ए, अमेयानन्द, कार्शीनाथ, धुरू रोड मुम्बई।	वास्तुविदों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य
23.	श्री आशीष कुलकर्णी, बिल्डिंग 64/1496 एम. आई. जी. कालोनी आदर्श नगर, मुम्बई।	उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य

धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (थ) के अधीन उस तारीख से जिसको वे पद ग्रहण करते हैं, तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त व्यक्ति :—

24.

25.

धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ध) के अधीन नियुक्त व्यक्ति :—

26.	महानिदेशक ब्यूरो	पदेन सदस्य सचिव।

[फा. सं. 13/2/2001-ई एम]
एम. एस. नवलगर, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2002

S. O. 1472.- In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (2) of Section 4 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government hereby establihes the Governing Council of the Bureau of Energy Efficiency and appoints the following Members of the Governing Council of the said Bureau, namely : -

Appointed under clauses (a) to (n) of Sub-section (2) of Section 4 :—

1.	The Minister of Power	Ex-officio Chairperson
2.	The Secretary to the Government of India, Ministry of Power, New Delhi	Ex-officio member
3.	The Secretary to the Government of India, Ministry of Petroleum and Natural Gas, New Delhi.	Ex-officio member
4.	The Secretary to the Government of India, Ministry of Coal, New Delhi	Ex-officio member
5.	The Secretary to the Government of India, Ministry of Non-Conventional Energy Sources, New Delhi.	Ex-officio member
6.	The Secretary to the Government of India, Department of Atomic Energy. New Delhi.	Ex-officio member
7.	The Secretary to the Government of India, Department of Consumer Affairs, New Delhi.	Ex-officio member
8.	The Chairman, Central Electricity Authority, New Delhi	Ex-officio member
9.	The Director General, Central Power Research Institute, New Delhi	Ex-officio member
10.	Executive Director, Petroleum Conservation Research Association, New Delhi	Ex-officio member
11.	Chairman-cum-Managing Director, Central Mine Planning and Design Institute Limited, Ranchi.	Ex-officio member
12.	Director-General, Bureau of Indian Standards, New Delhi	Ex-officio member
13.	Director-General, National Test House, Department of Supply, Ministry of Commerce and Industry, Kolkata.	Ex-officio member
14.	Managing Director, Indian Renewable Energy Development Agency Limited. New Delhi.	Ex-officio member

Appointed under clause (o) of Sub-section (2) of Section 4 : —

15.	The Chairman, North-Eastern Regional Electricity Board.	Representing states of North-Eastern region.	Member
16.	The Chairman, Eastern Regional Electricity Board.	Representing states of Eastern region.	Member
17.	The Chairman, North Regional Electricity Board.	Representing states of Northern region.	Member
18.	The Chairman, Western Regional Electricity Board.	Representing states of Western region.	Member
19.	The Chairman, Southern Regional Electricity Board.	Representing states of Southern region.	Member

Appointed under clause (p) of Sub-section (2) of Section 4 for a period of three years with effect from the date they enter upon the office :—

20.	Shri Tarun Das, Director-General, Confederation of Indian Industries, New Delhi.	Representing Industry	Member
21.	Shri Sunil Paresh More, Secretary General, Indian Electrical and Electronics Manufacturers' Association, Mumbai.	Representing Equipment and Appliances Manufacturers.	Member
22.	Shri Shashi Prabhu, 12–A, Ameyanand, Kashinath Dhuru Road, Mumbai.	Representing Architects	Member
23.	Shri Ashish Kulkarni, Building 64/1496, MIG Colony, Adarsha Nagar, Worli, Mumbai.	Representing Consumers	Member

Appointed under clause (q) of Sub-section (2) of Section 4 for a period of three years from the date they enter upon the office :—

24.
25.

Appointed under clause (r) of Sub-section (2) of Section 4 :

26. Director-General of Bureau — Ex-officio member Secretary.

[File No. 13/2/2001-EM]
S. S. TALWAR, Dy. Secy

MGIPRRND—1411 Power/2002—Sec. II—Copy 200.